भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 672

सोमवार, 6 फरवरी, 2017/ 17 माघ, 1938 (शक)

मातृत्व अवकाश

672. डॉ शशि थरूर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का निजी संगठनों में वैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार प्राप्त महिलाओं को समान लाभ प्राप्त हो, सरकार मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 की धारा 4 में संशोधन करना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख) जी, हां । सरकार ने मौजूदा 12 हफ्तों से 26 हफ्तों के वैतनिक मातृत्व अवकाश को बढ़ाने का निर्णय लिया है और इस संबंध में संशोधन विधेयक राज्य सभा में पेश कर दिया गया था। राज्य सभा ने दिनांक 11.08.2016 को विधेयक पहले से ही पारित कर दिया है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सम्मिलित महिला कामगारों के संबंध में ऐसी वृद्धि ईएसआई (केन्द्रीय) नियम, 1950 के संशोधन द्वारा पहले से ही लागू है।

(ग) और (घ): प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 की धारा 4 में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत लाभ विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में नियोजित महिलाओं पर पहले से ही लागू और उपलब्ध हैं।

*****